

24.10.2018



पुस्तक नं
वृज्जवाजपि
नी 30/10/18
50/2018
10.8.2018

न्यायालय राजस्व अमील प्राधिकारी कोटा केम्, बारां

सुण्डीलाल पुत्र धान्नालाल उम्र 74 साल जाति हरिजन निवासी टारडा
तहसील अन्ता जिला बारां

बनाम

1. राजो सरकार ज्ये तहसीलदार अन्ता

अमील बनासाजगी निणयि/आदेशा दि 16-5-18
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता, बउनवान
दावा सुण्डीलाल बनाम सरकार, वाद सं 5/2012
दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजो बी 080

मान्यवर,

अमीलांट निम्न निवेदन करता हे:-

1. यह कि अधिनस्था न्यायालय ने अमे निणयि दि 16.5.18
से वादी कावाद अकारण खारिज कर दिया हे । वादी का वाद नियमानुसार
धा जिसे राजस्व अभियान केम् टारडा मे 16.5.18 को यह कहते हुए